उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
26/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 2.3.21 को पेश हो।
2.3.21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3.6.21 को पेश हो।
3.6.21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27.8.21 को पेश हो।
27/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15.11.21 को पेश हो।
15/11/2021	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~ कार्य में व्यस्त ~~[illegible]~~ है। गतानुसार दिनांक ..... को पेश हो। 8-2-2022
8/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17-5-22 को पेश हो।
17/5/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी वकील। प्रति वादी वकील ने प्रकरण [illegible] में कार्य का निर्णय कि वादी निवासी [illegible] है। वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने में असमर्थ है। अतः आ० सं० 130/17 धारा सन्तोषी कराया निरेश आदेश वादी व अधिवक्ता की अनुमति किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो करार की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)